भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 1 और 2 मूलभूत सांख्यिकीय विवरणीयां

प्रस्तावना

1. इस खंड में, जो कि इस (श्रृंखला) में छत्तिसवां है, 31 मार्च 2007 की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋण से संबंधित व्यापक आंकडे तथा बैंको के कर्मचारीयों की संख्या से संबंधित जानकारी प्रस्तुत है। ये आंकडे भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों से, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां (बीएसआर)-1 और 2, वार्षिक सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से संगृहीत किये गये हैं। प्रकाशन के पूर्ववर्ती शीर्षक, अर्थात् 'बैंकिंग सांख्यिकी' को मार्च 2000, खंड 29 से परिवर्तित करके 'भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां' कर दिया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य यह रहा है कि इस खंड में प्रकाशित आंकड़ो के स्रोत तथा प्रकृति को उजागर किया जाए तथा बैंक के एक दूसरे प्रकाशन, अर्थात् 'भारत में बैंको से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां', जो कि विभिन्न सांविधिक विवरणियों तथा अन्य सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से संगृहीत आंकड़ों पर आधारित हैं, उसके मूल अंतर को स्पष्ट किया जाय। बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में बैंक के अन्य प्रकाशनों के बारे में सूचना **परिशिष्ट** में दी गयी है।

2. बैंकिंग क्षेत्र की नीति में हुए बदलों और अन्य गतिविधियों के अनुसार तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी.) 1998 के अनुरूप समान कोडिंग प्रणाली स्वीकार करने हेतु मू.सा.वि. 1 और 2 की विवरणियों में मार्च 2002 के सर्वेक्षण से संशोधन किया गया है। जिसकी उल्लेखनीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

(i) बैंकिंग सांख्यिकी कोडिंग प्रणाली से एन्आईसी 1998 के वर्गीकरण के आधार पर ऋण खातों के व्यवसाय/कार्यकलाप संबंधित नई कूट प्रणाली संशोधित की गयी है।

(ii) क्रेडिट कार्डों पर दिये गये ऋणों को 'मांग ऋणों' में शामिल किया है।

(iii) देशी बिलों को व्यापार बिलों और अन्य बिलों में अंतर्भूत किया है।

(iv) कारीगर तथा ग्राम उद्योग और लघुतर उद्योग के वर्ग में कारीगर/दस्तकार, ग्रामीण/कुटीर उद्योग और अतिलघु उद्योग शामिल हैं।

(v) व्यवसाय/कार्यकलाप कूट प्रणाली में किये गये बदलों के परिणामस्वरूप कई व्यवसायों के कूट संख्या संबंधित वर्णनों/ब्यौरे में सुधार/बदलाव किये गये हैं। जैसे कि उद्योगों के वर्गीकरण में मद 2.7 के अंतर्गत पहले 'रबड़ और रबड़ के उत्पाद' के बदले में 'रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद' ऐसा नामांकन किया है।

(vi) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ग्रामीण बैंकों सहित रु. 2 लाख और उससे कम ऋण सीमावाले सभी ऋण खातों को मार्च 1999 सर्वेक्षण के बाद लघु उधार खातों में वर्गीकृत किया है।

इन बदलों के परिणामस्वरूप इस खण्ड के कई सारणियों में प्रस्तुत किये गये आंकड़े वर्ष 2002 के पूर्व सारणियों के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

3. मू.सां.वि. - 1 कुल बैंक ऋण संबंधित है और उसमें मीयादी ऋण, नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये बिल, नयी बिल बाजार योजना के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल एवं बैंकों से देय राशि शामिल है जब कि, भारत में रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत विवरणियों पर आधारित बैंक ऋण के आंकड़ों में बैंकों से देय राशियां तथा नयी बिल मार्केट योजना के अंतर्गत पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं। मू.सां.वि.-1 विवरणी दो भागों में विभाजित की गयी है-भाग क और भाग ख। 1998 तक, मूं.सां.वि. 1 क में रु.25,000 से ज्यादा व्यक्तिगत ऋण सीमा होने वाले उधार खातों का समावेश था। लेकिन मार्च 1999 से ऋण सीमा में बदल होने के फलस्वरूप मू.सां.वि. 1क में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, रु.2 लाख से ज्यादा ऋण सीमा होने वाले व्यक्तिगत खातों का समावेश है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए ऋण सीमा पहले वर्ष जैसे

रु.25000 तक ही रख दी गयी है। मू.सां.वि. 1क में उधार खातों से संबंधित जानकारी, जैसे ऋण के उपयोग का स्थान (जिला और जनसंख्या समूह), खाते का प्रकार, संगठन का प्रकार, व्यावसायिक श्रेणी, उधार खातों का स्वरुप, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि इन विभिन्न विशेषताओं के साथ, संकलित की जाती है। मू.सां.वि. - 1 ख में रु.2 लाख तक (रु.25,000/- तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए) की एकल ऋण सीमा वाले खातों के संबंध में जानकारी व्यापक व्यावसायिक श्रेणियों के लिये समेकित रूप में प्राप्त की जाती है। मू.सां.वि.-1ख विवरणी में ऋण सीमा के आकार पर आधारित दो अलग वर्ग हैं ज्यों कि एक रु. 25000/- तक और दूसरा रु. 25000/- से अधिक रु. 2 लाख तक। लघु उधार खातों संबंधित जानकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) मू.सां.वि.-1ख विवरणियों से प्राप्त की गयी है।

4. मू.सां.वि.-2 में प्रत्येक बैंक कार्यालय जमाराशियों की जानकारी चालू, बचत एवं मीयादी जमाराशियों में विभाजित करके प्रस्तुत करते हैं। महिलाओं के जमा खातों संबंधी जानकारी अलग रूप से दी गयी है। इस विवरणी में विभिन्न परिपक्वता अवधियों के अनुसार मीयादी जमाराशियों के वितरण के भी आंकड़े मंगवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मू.सां.वि.-2 में, सर्वेक्षण की संदर्भ तारीख को अलग-अलग बैंक कार्यालयों के लिंग और श्रेणी (अर्थात अधिकारी, लिपिकीय और सहायक) के अनुसार स्टाफ संख्या संबंधी जानकारी संकलित की जाती है। जमाराशियों में अंतर बैंक जमाराशियां शामिल नहीं हैं। चालु जमाराशियों में निम्निलिखित शामिल है : (i) मांग पर या 14 दिनों से कम की सूचना पर आहरित की जाने वाली जमाराशियां (बचत जमाराशियों को छोड़कर) या 7 दिनों से कम तक की परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमाराशियां, (ii) 14 दिनों के पश्चात् आहरित की जा सकने वाली मांग जमाराशियां (iii) अदावी जमाराशियां, (iv) अतिदेय सावधि जमाराशियां, (v) नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट खातों में ऋण शेष और, (vi) यदि जमाराशियों के स्वरूप में हो तो असमायोजित आकस्मिकता खाते। बचत जमाराशियां वे हैं जो बैंकों द्वारा उनकी बचत बैंक जमाराशि नियमावली के अंतर्गत स्वीकृत की जाती हैं। कम से कम 7 दिनों तथा उसके उप्पर की नियत परिपक्वता अथवा कम से कम 14 दिनों की नोटिस की शर्त वाली जमाराशियां, मीयादी जमाराशियां हैं। इनमें (i) 14 दिनों की नोटिस के बाद देय जमाराशियां (ii) नकदी प्रमाणपत्र (iii) संचयी और आवर्ती जमाराशियां (iv) कुरी और चिट जमाराशियां और (v) मीयादी जमाराशियों के रूप में विशेष जमाराशियां भी शामिल हैं। सिद्धांत रूप से मू.सां.वि. - 2 में दर्शायी गयी जमाराशियां और धारा 42(2) में दी गयी कुल जमाराशियां एक समान ही है। इन आंकड़ो के आधार पर इस खंड में ब्याज दर श्रेणी के अनुसार मीयादी जमाराशियों की प्रतिशत वितरण दर्शाने वाली सारणी प्रस्तुत की गयी है। मियादी जमाराशियों के उर्वरित परिवक्वता के आंकड़े, जो मार्च 2003 में समाविष्ट किए गये, इस विवरणी के भाग-V द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंको के संगणकीकृत शाखाओं से संकलित किए गये हैं और उसका प्रतिशत वितरण इस खंड में प्रस्तुत किया गया है।

5. मार्च 2007 के अंतिम दिन को कार्यरत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 73,199 कार्यालयों में से 67,230 कार्यालयों से.मू.सां.वि. - 1 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। 67,828 कार्यालयों से.मू.सां.वि. - 2 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। सूचना न देनेवाले कार्यालयों के मामले में, आंकड़े सर्वेक्षण के पिछले दौर के आधार पर तथा तिमाही विवरणी में उपलब्ध, 31 मार्च 2007 की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण (मू.सां.वि. - 7) संबंधी जानकारी के आधार पर अनुमानित किये गये हैं।

खंड की रूपरेखा

6. इस खण्ड में पांच भिन्न अनुभाग हैं जो कि विभिन्न श्रेणी संबंधी उनके विशेष वर्गीकरण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण एवं जमाराशियों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं। इस खण्ड के अनुभाग 1 में अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर वाणिज्य बैंकिंग एवं जमाराशियां और साथ ही ऋण संबंधी सारांश आंकड़ो के संबंध में सामान्य जानकारी प्रस्तुत है। अनुभाग 2 में जनसंख्या समूह और बैंक समूह के अनुसार वर्गीकृत जमाराशियां और बकाया ऋण का राज्यवार वितरण दिया गया है। अनुभाग 3 में जमाराशियों के प्रकार के अनुसार जमाराशियों के वितरण पर आंकड़े प्रस्तुत हैं। अनुभाग 4 में विभिन्न श्रेणियां जैसे ऋण सीमा की मात्रा, ब्यात दर, संगठन का प्रकार, खाते का प्रकार, राज्य और

जनसंख्या समूहवार, आदि के अनुसार बकाया ऋण का वर्गीकरण दिया गया है। अनुभाग 5 में, इन्हीं आकड़ों का उधारकर्ता के व्यवसाय के अनुसार और ज्यादा वर्गीकरण किया गया है। जिलावार और व्यवसाय के अनुसार बकाया ऋण का वितरण भी अनुभाग 5 में दिया गया है।

7. मू.सां.वि.-1 क विवरणी उन जिला और जनसंख्या समूह की पहचान कराती है जहां ऋण उपयोग में लाया जाता है। तथापि ऐसी जानकारी मू.सां.वि.-1 ख विवरणी में संकलित नहीं की जा रही है; इन खातों के संबंध में यह मान लिया जाता है, कि उसी स्थानपर ऋणका उपयोग किया जाता है, जहाँसे उसे मंजूरी दी गयी हो। उल्लेखनीय है कि राज्य और जनसंख्या समूहवार ऋण संबंधी अनुभाग 4 और 5 में दिये गये आंकड़े उपयोग के स्थान पर आधारित हैं। जब कि अनुभाग 2 में ये ऋण मंजूर किये जाने के स्थान के आधार पर है। अनुभाग 1 में ऋण को जमाराशियों के साथ प्रस्तुत करते समय (सारणी 1.3, 1.4 और 1.5) ऋण मंजूरी के स्थान के अनुसार है और अलग से प्रस्तुत करते समय (सारणी 1.10 और 1.11) ये उपयोग के स्थान के आधार पर है। सारणी 1.6 से 1.8 में ऋण के आंकड़े मंजूरी तथा उपयोग दोनों की स्थानों के अनुसार दिये गये हैं ताकि तुलना करने में सुविधा हो। ऋणके सारणियों की सूची, ऋणकी मंजूरी तथा उपयोग में लायी जगह के अनुसार, 'सारणियों पर टिप्पणियां' में प्रस्तुत हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

8. उक्त खंड के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत कुछ सारणियों के संबंध में विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियां नीचे प्रस्तुत हैं।

इस खण्ड के अनुभाग 1 की सारणी 1.1 में सारणियों पर टिप्पणियां में दिये गये ब्यौरे के अनुसार विभिन्न स्त्रोतों से संकलित आंकड़ों के आधार पर वाणिज्य बैंकिंग की प्रगति एक नजर में प्रस्तुत की गयी है। सारणी 1.9 में विस्तृत रूप में व्यवसाय के अनुसार बकाया ऋण का वर्गीकरण दिया गया है। सारणियां 1.13, 1.14 और 1.15 में अनुसूचित वाणिज्य बैंको की बकाया राशियों का क्रमशः उनके ब्याजदर, खाते का प्रकार और संगठन अनुसार रु. 2 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत ऋण सीमा वाले खातों संबंधित वर्गीकरण दिया है। सारणी 1.16 में, लघुउधार खातों का उनके ऋणकर्ताओं की व्यापक श्रेणीयों के अनुसार और लिंगवार प्रतिशत वर्गवारी दी गयी है। सारणी 1.17 में रु 2 लाख और उनसे कम छोटे उधारकर्ताओं का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण दिया गया है। सारणियां 1.21 से 1.23 तक क्रमशः वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां व्यापक स्वामित्व श्रेणी के अनुसार दी गयी है। सारणियां 1.24 से 1.26 तक क्रमशः मूलतः व्यापक स्वामित्व श्रेणी, जनसंख्या समूह, बैंक समूह और राज्य के अनुसार मीयादी जमाराशियों की मूल परिपक्वता रचना प्रस्तुत करती हैं। उर्वरित परिपक्वता के अवधि के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मियादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण सारणी सं. 1.27 में प्रस्तुत किया है। सारणी 1.28 में मीयादी जमाराशियों का वर्गीकरण ब्याज दरों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। सारणी 1.29 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का उनके आकार के अनुसार प्रतिशत वर्गीकरण दिया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकोंकी मीयादी जमाराशियों के (मूल) परिपक्वता का स्वरुप, जनसंख्या समूह तथा राज्य के साथ, स्थूल स्वामित्व के अनुसार, सारणी सं. 3.4 व 3.5 में दिया है। अनुभाग 4 में सारणियां 4.1 से 4.6 तक और अनुभाग 5 में सारणियां 5.1 से 5.3 तक जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा रु. 2 लाख से ज्यादा है ऐसी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का संक्षिप्त वर्गीकरण दिया है। सारणी 5.8 के अंतर्गत जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा रु. 2 लाख और उससे कम है ऐसे लघु उधारकर्ताओं के खातों की जानकारी दी है।

9. इस खण्ड में प्रस्तुत बैंक युक्त केंद्रों के जनसंख्या समूह, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर है। इसलिए, इस खंड के सारणियों में प्रस्तुत किये गये जनसंख्या समूहवार आंकड़े पूर्व प्रकाशित खंडों के आंकडों के साथ तुलनीय नहीं हैं। जनसंख्या समूह निम्नानुसार परिभाषित हैं:

(i) ग्रामीण समूह में 10,000 तक की जनसंख्या वाले सभी केंद्र शामिल हैं।

(ii) अर्ध-शहरी समूह में 10,000 से अधिक और 1 लाख से कम तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

(iii) शहरी समूह में 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम तक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

(iv) महानगरीय समूह में 10 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल हैं।

10. बैंको के निम्नानुसार समूह बनाये गये हैं:

(i) भारतीय स्टेट बैंक और उससे सहयोगी बैंक

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक

(iii) विदेशी बैंक

(iv) क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक

(v) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक

11. बैंक समूह, 'राष्ट्रीयकृत बैंक' में आइडीबीआइ लिमिटेड के आंकड़े शामिल हैं।

12. इस खंड की विभिन्न सारणियों में दी गयी जानकारी पर आधारित ऋण और जमाराशियों से संबंधित अनुसूचित वाणिज्य बैंको की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को मुख्य बातों में सम्मिलित किया गया है।

13. आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण सारणियों के जोड़ के आंकड़ों का घटक मदों के जोड़ से मेल नहीं खाता। लाख इकाई 1,00,000 के समकक्ष हैं। इस खण्ड में सर्वत्र '-' चिन्ह शून्य अथवा नगण्य दर्शाता है। कोष्ठकों (सारणी 1.2 को छोड़कर) में दिये गये आंकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत दर्शाते है। खण्ड के अंत में प्रत्येक सारणियों पर उपयुक्त टिप्पणियां दी गयी हैं।

14. यह खण्ड *सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग के बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग ने तैयार किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक
सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग*
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी-8/9,
पो.बा.सं. 8128,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

दिनांक : 18 मार्च 2008

* परिवर्तीत करके सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग

मुख्य बातें

1. भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां खंड 36, 31 मार्च 2007 की स्थिती के अनुसार बीएसआर-1 और 2 सर्वेक्षणों के जरिये संकलित किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 73,199 कार्यालय शामिल किए गए हैं। ये विवरणियां भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रत्येक शाखा/ कार्यालय से प्राप्त की गई हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं यहाँ दी जा रही हैं।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण

2. कुल बकाया ऋण में वृद्धि

- मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल बकाया ऋण 19,47,009 करोड रु. था। यह वृद्धि 28.6 प्रतिशत की है जबकि पिछले वर्ष इसमें 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। *(सारणी सं. 1.3)*
- वर्ष 2006 के 8.54 करोड़ के तुलना में उधार खाते 10.5 प्रतिशत की दर से बढ़कर, वर्ष 2007 में 9.44 करोड़ हो गए। (चार्ट-1)

चार्ट 1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण
1991 से 2007 तक

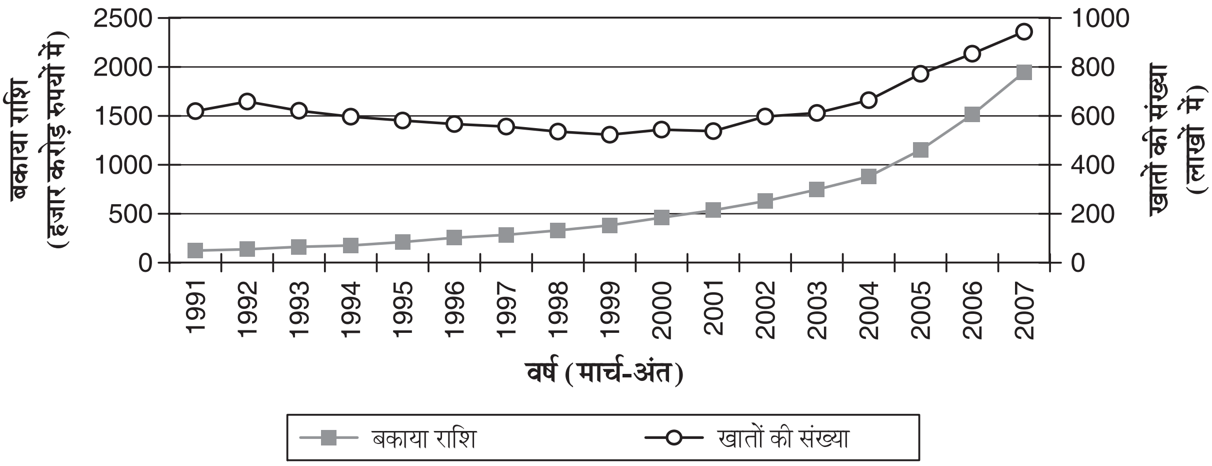

3 बैंक समूहवार ऋण का वितरण

- कुल बैंक ऋण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बडा हिस्सा रहा है। इसमें पिछले साल के 47.9 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 47.6 प्रतिशत तक मामूली रुप में घट आई है। अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 2007 में 20.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा। विदेशी बैंकों का हिस्सा इस साल 6.9 प्रतिशत रहा जो कि पिछले वर्ष 6.6 प्रतिशत था। *(सारणी सं. 1.4)*
- विदेशी बैंकों ने वर्ष 2007 में 36.0 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दिखाई है। स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकोंने और राष्ट्रीयकृत बैंकोंने वर्ष 2006 में ऋण में प्रत्येकी 28.1 और 27.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2007 में अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने 28.8 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 30.6 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दिखाई है।

- वृद्धिशील ऋण में स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का हिस्सा क्रमशः 22.7 46.4 और 20.1 प्रतिशत रहा है।

4. बैंक ऋण का क्षेत्रवार (व्यवसाय के अनुसार) उपयोग

- कुल बैंक ऋण में गैर खाद्य ऋण का हिस्सा 2006 में 97.4 प्रतिशत था जबकि मार्च 2007 में यह थोड़ा सा बढ़कर 97.6 प्रतिशत हो गया। *(सारणी सं. 1.9)*
- कुल बैंक ऋण में कृषि क्षेत्र के हिस्से में 2006 के 11.4 प्रतिशत की तुलना में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उद्योग ऋण का हिस्सा 2007 में बढकर 38.1 प्रतिशत हो गया जो 2006 में 37.4 प्रतिशत था। (सारणी 1.11 और चार्ट-2)
- कुल बैंक ऋण में लघु उद्योग (ग्रामीण उद्योग सहित) का हिस्सा 2006 के 4.1 प्रतिशत से घटकर 2007 में 3.9 प्रतिशत हो गया।
- कुल बैंक ऋण में व्यक्तिगत ऋणों के हिस्से में पिछले वर्ष के 23.3 प्रतिशत से 2007 में 22.3 प्रतिशत तक घट पाई गई है।
- परिवहन परिचालक के ऋण का हिस्सा वर्ष 2006 के 1.6 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 1.3 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 2: कुल बैंक ऋण का क्षेत्रवार उपयोग

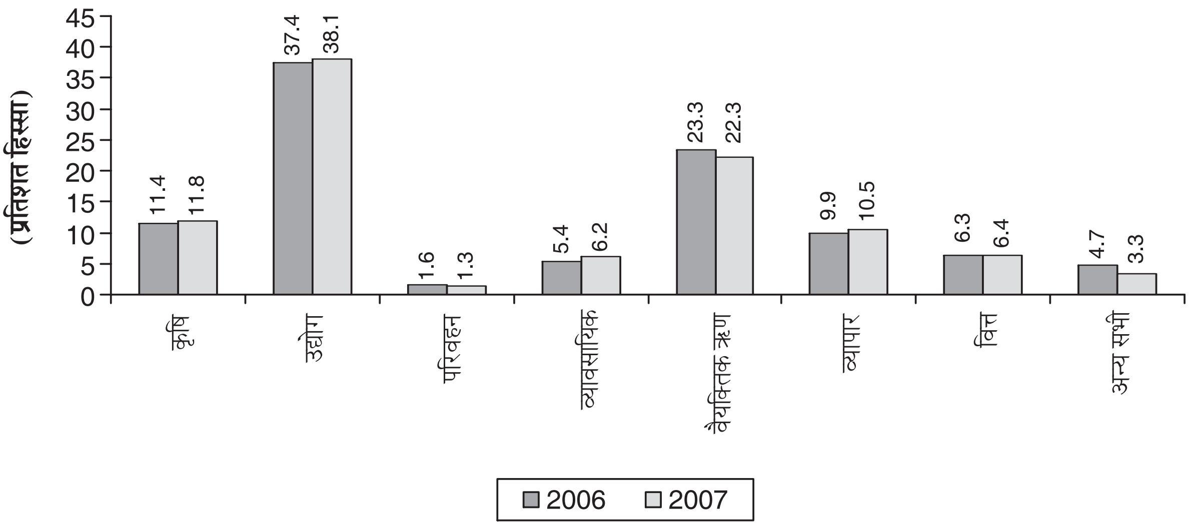

5. क्षेत्रवार (व्यवसाय के अनुसार) ऋण लिया जाना

- कृषि को बैंक ऋण में हुई वृद्धि पिछले वर्ष के 38.8 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 33.3 प्रतिशत तक घट दर्शाती है। *(सारणी 1.9)*
- उद्योग ऋण की वृद्धि में बढोत्री आकर 2006 की 26.7 प्रतिशत की तुलना में यह वृद्धि 2007 में 31.0 प्रतिशत की रही।
- व्यक्तिगत ऋण में वर्ष 2006 के 38.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2007 में 22.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। आवास ऋण जो व्यक्तिगत ऋण का एक भाग है, पिछले वर्ष के 43.7 प्रतिशत की तुलना में इस साल 25.7 प्रतिशत तक बढ़ गया।

- परिवहन परिचालक के ऋण में वर्ष 2007 में 9.9 प्रतिशत तक उल्लेखनीय घटौती हुई है जो कि वर्ष 2006 में 72.9 प्रतिशत थी।

6. वृद्धिशील बैंक ऋण (व्यवसाय के अनुसार)

- वृद्धिशील ऋण में, उद्योग क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2006 में 33.0 प्रतिशत था। वही प्रवृत्ति जारी रखते हुए वर्ष 2007 में भी उद्योग क्षेत्र ने 40.5 प्रतिशत तक मुख्य हिस्सा बरकरार रखा है।
- कृषि क्षेत्र ने वृद्धिशील ऋण में 2006 का स्तर लगभग समान रखते हुअे 2007 में 13.3 प्रतिशत ग्रहण किया।
- व्यक्तिगत ऋण का वृद्धिशील ऋण में 18.5 प्रतिशत तक हिस्सा रहा जिसमें आवास ऋण 10.8 प्रतिशत था।
- वर्ष 2007 के वृद्धिशील ऋण में व्यावसायिकों को दिये गये ऋण का हिस्सा वर्ष 2006 के 7.4 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत तक बढ़ा

7. बैंक ऋण का आकार के अनुसार वितरण

- कुल खातों की संख्या में, लघु उधार खातों (जिनकी ऋण सीमा रु. 2 लाख तक है) की संख्या ने 2006 के 90.3 प्रतिशत की तुलना में इस साल 89.3 प्रतिशत का योगदान दिया है जबकि लघु उधार खातों का बकाया ऋण में हिस्सा 2006 के 16.4 प्रतिशत की तुलना में इस साल 14.4 प्रतिशत है। *(सारणी सं. 1.12)*
- 25 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सीमा वाले ऋण के हिस्से में पिछले वर्ष के 31.1 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 33.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

8. संगठनवार बैंक ऋण

- कुल बैंक ऋण में सार्वजनिक क्षेत्रको दिये गये ऋण में बकाया ऋण (उन उधार खातों के लिए जिनमें प्रत्येक की ऋण सीमा 2 लाख रु. से अधिक है) का संगठनवार हिस्सा 2006 के 13.4 प्रतिशत से घटकर 2007 में 11.9 प्रतिशत हो गया। *(सारणी सं. 1.15)*
- कुल बैंक ऋण में निजी कंपनी क्षेत्र के ऋण के हिस्से में 2007 में 44.0 तक वृद्धि हुई जो 2006 में 42.3 प्रतिशत था।
- व्यक्तिगत ऋण के हिस्से ने 2006 के 22.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007 में 23.8 प्रतिशत का योगदान दिया।
- सहकारी क्षेत्र के ऋण के हिस्से में 2006 के 5.2 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 4.5 प्रतिशत की घटौती पाई गई है।
- व्यक्तिगत ऋण 38.9 प्रतिशत तक बढ़ गए तथा निजी कंपनी क्षेत्र को दिये गये ऋण में 37.1 प्रतिशत की वृद्धि रही। सार्वजनिक क्षेत्र को दिये गये ऋण में 2007 में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

9. बैंक ऋण पर ब्याज दर

- ब्याज दर सीमा (जिन खातों की ऋण सीमा रुपए 2 लाख से अधिक है) के अनुसार बकाया ऋण का वितरण यह व्यक्त करता है कि 10-12 प्रतिशत की ब्याज दर श्रेणी की बकाया राशि का समानुपात उच्चतम जैसे 23.6 प्रतिशत था। *(सारणी सं. 1.13)*

- 2 लाख रुपए से ऊपर की ऋण सीमा के सभी ऋणों और अग्रिमों का भारित औसत ब्याज दर (वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट) मार्च 2007 के अंत में 11.92 प्रतिशत रहा है जो पिछले वर्ष 11.97 प्रतिशत था।

कुल जमाराशियां

10. कुल जमाराशियों में वृद्धि

- 2007 में कुल जमाराशियां 24.2 प्रतिशत की दर से बढ़कर 25,97,045 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वर्ष यह वृद्धि 19.7 प्रतिशत की थी। *(सारणी सं. 1.18)*

- जमाराशि खातों की सं. 7.0 प्रतिशत से बढ़कर 51.91 करोड़ रुपए हो गई जो कि मार्च 2006 में 48.50 करोड़ रुपए थी।

11. जमाराशियों का बैंक समूहवार वितरण

- कुल बैंक जमाराशियों में राष्ट्रियकृत बैंकों का हिस्सा 48.5 प्रतिशत होकर मुख्य बना रहा। अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक और विदेशी बैंकों का हिस्सा वर्ष 2006 के 19.4 और 5.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007 में क्रमशः 20.6 और 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- विदेशी बैंक और अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में क्रमशः 30.9 तथा 31.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जो 2006 में 45.6 और 29.8 प्रतिशत थी।

12. जमाराशियों के प्रकार

- कुल जमाराशियों में मियादी जमाराशियों का हिस्सा वर्ष 2005 के 59.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007 में 61.5 प्रतिशत हुआ। चालू तथा बचत (करेंट और सेविंग्स) जमाराशियों के हिस्से 2007 में क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 26.1 प्रतिशत रहे जो वर्ष 2006 में 12.3 और 28.1 प्रतिशत थे। *(सारणी सं. 1.18)*

13. मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता का स्वरुप (मैच्यूरिटि पैटर्न)

- कुल जामाराशियों में 5 साल और इससे अधिक की मूल परिपक्वता (ओरिजिनल मैच्युरिटि) वाली मीयादी जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष के 8.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007 में घटकर 7.3 प्रतिशत हो गया है। (सारणी सं. 1.24)

- तीन वर्ष से पाँच से कम वर्ष की परिपक्वता की अवधि की जमाराशियों का हिस्सा 2006 के 16.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007 में कम होकर 15.4 प्रतिशत हो गया। कुल मीयादी जमाराशियों में 1 से 2 वर्ष की परिपक्वता की अवधि का हिस्सा 2006 के 26.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 32.7 प्रतिशत हो गया है तथा 6 महिने से 1 वर्ष की परिपक्वता की अवधि के हिस्से में भी तदनरुप अवधि में 16.6 प्रतिशत से 17.7 प्रतिशत तक वृद्धि आई है।

14. मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर

- 2007 में बकाया मीयादी जमाराशियों का भारित औसत (वेटेड एवरेज) ब्याज दर 8.22 प्रतिशत रहा है जो मार्च 2006 के भारित औसत ब्याज दर 6.51 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। (सारणी सं. 1.28)

15. ब्याज दर अंतर - (इंटरेस्ट रेट स्प्रेड)

- मीयादी जमाराशियों के ऊपर बैंक ऋण (बड़े उधार खाते जिनकी ऋण सीमा 2 लाख रु. से अधिक है) का ब्याज दर अंतर (इंटरेस्ट रेट स्प्रेड) 2006 के 5.46 प्रतिशत से कम होकर 2007 में 3.70 प्रतिशत हो गया है।

ऋण जमाराशि (सी-डी) अनुपात
(ऋण की मंजूरी तथा उपयोग के स्थान के अनुसार)

16. जनसंख्या समूह के अनुसार (सी-डी) अनुपात

- अखिल भारतीय ऋण-जमाराशि (सी-डी) अनुपात 2006 के 72.4 प्रतिशत की तुलना में 2007 में बढ़कर 75.0 प्रतिशत हो गया।

- जनसंख्या समूहवार सी-डी अनुपात, ऋण की मंजूरी की जगह के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मार्च 2007 में 61.2 प्रतिशत था। अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्र का सी-डी अनुपात क्रमशः 52.7 तथा 59.5 प्रतिशत था। ग्रामीण, अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में ऋण के उपयोग के स्थान के अनुसार सी-डी अनुपात क्रमशः 93.2, 59.5, 65.8 प्रतिशत था। महानगरी केंद्रों में मंजूरी तथा उपयोग के स्थान के अनुसार सी-डी अनुपात वर्ष 2006 के 87.5 और 76.3 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 88.5 और 79.0 प्रतिशत दर्ज रहा। (सारणी सं. 1.6)

17. भारत के राज्यों में ऋण का स्थानांतरण

- भारत के राज्यों में ऋण की मंजूरी की जगह तथा ऋण के उपयोग की जगह के अनुसार ऋण के स्थानांतरण का विश्लेषण ऋण और जमाराशि (सी-डी) अनुपात के द्वारा किया गया है। (सारणी सं. 1.7 और चार्ट 3)

- राजस्थान, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू का सी-डी अनुपात, ऋण की मंजूरी के स्थान और उपयोग के स्थान, दोनों दृष्टियों से पूरे भारत के सी-डी अनुपात (75.0 प्रतिशत) से अधिक था।

- इन राज्यों में राजस्थान, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू में ऋण की मंजूरी की अपेक्षा उपयोग का सी-डी अनुपात अधिक था जो कि इन राज्यों की ओर ऋण का नेट इनफ्लो दर्शाता है।

चार्ट 3 : राज्यवार ऋण - जमाराशि अनुपात

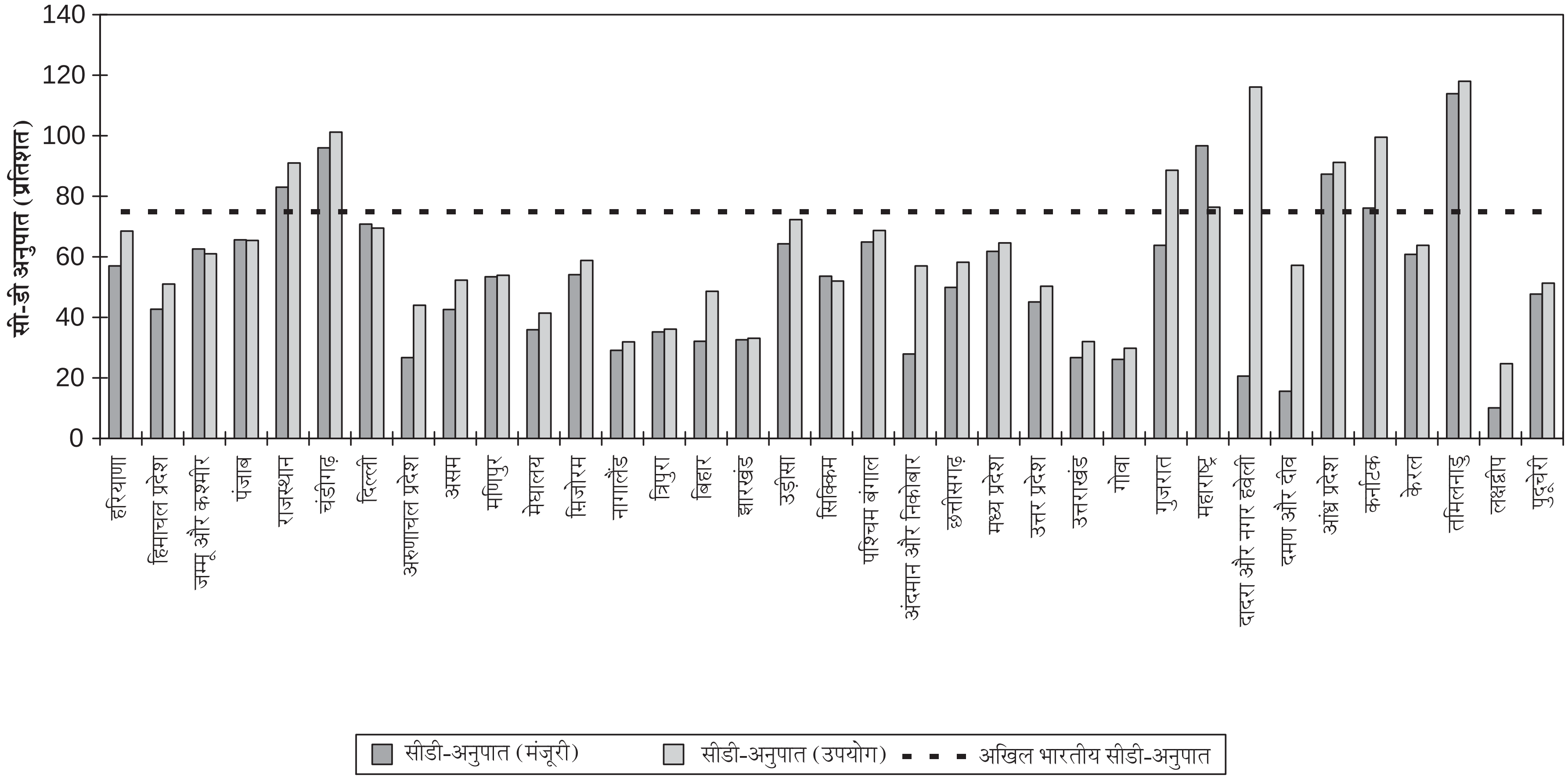

विषय सूची

अनुभाग 1 : साररुप सारणियां

सारणी सं.		पृष्ठ सं.
1.1	वाणिज्य बैंकों की प्रगति - एक दृष्टि में	1
1.2	बैंकिंग केन्द्रों का राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वितरण (मार्च 2006 एवं 2007 के अंत में)	2
1.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जनसंख्या समूहवार जमाराशियां और ऋण	3
1.4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक समूहवार जमाराशियां और ऋण	3
1.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की राज्यवार जमाराशियां और ऋण	4
1.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जनसंख्या समूहवार मंजूरी तथा उपयोग में लायी गयी जगह के अनुसार बकाया ऋण	5
1.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राज्यवार मंजूरी तथा उपयोग में लायी गयी जगह के अनुसार बकाया ऋण	6
1.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राज्य और जनसंख्या समूहवार मंजूरी तथा उपयोग में लायी गयी जगह के अनुसार बकाया ऋण	7
1.9	व्यवसाय के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण	8
1.10	व्यवसाय के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का जनसंख्या समूहवार बकाया ऋण	9
1.11	जनसंख्या समूह और व्यवसाय के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का प्रतिशत वितरण	10
1.12	ऋण-सीमा के आकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण	11
1.13	ब्याजदर सीमा के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण	11
1.14	खाते के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण	12
1.15	संगठन के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बकाया ऋण	13
1.16	उधार कर्ताओं के स्थूल स्वामित्व श्रेणियों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लघु उधार खातों के बकाया ऋण का प्रतिशत वितरण	13
1.17	व्यवसाय के अनुसार तथा जनसंख्या समूहवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लघु उधार खातों का बकाया ऋण	14
1.18	जमाराशियों के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जनसंख्या समूहवार जमाराशियां	15

सारणी सं. *पृष्ठ सं.*

1.19	जमाराशियों के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक समूहवार जमाराशियां	15
1.20	जमाराशियों के प्रकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की राज्यवार जमाराशियां	16
1.21	स्थूल स्वामित्व श्रेणियों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जनसंख्या समूहवार जमाराशियां	17
1.22	स्थूल स्वामित्व श्रेणियों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बैंक समूहवार जमाराशियां	17
1.23	स्थूल स्वामित्व श्रेणियों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की राज्यवार जमाराशियां	18
1.24	स्थूल स्वामित्व श्रेणी के अनुसार परिपक्वता स्वरूपवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां	19
1.25	जनसंख्या समूह के अनुसार परिपक्वता स्वरूपवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां	19
1.26	बैंक समूह के अनुसार परिपक्वता स्वरूपवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां	20
1.27	उर्वरित परिपक्वता और स्थूल स्वामित्व श्रेणीयों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण	20
1.28	ब्याज दरों की सीमा और स्थूल स्वामित्व श्रेणियों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण	21
1.29	जमाराशियों के आकार और स्थूल स्वामित्व श्रेणियों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का प्रतिशत वितरण	21
1.30	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कर्मचारियों का श्रेणियों के अनुसार राज्यवार वितरण	22
1.31	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कर्मचारियों का श्रेणियों के अनुसार बैंक समूह तथा जनसंख्या समूहवार वितरण	23-24

अनुभाग 2 : जमाराशियां और ऋण

2.1	जनसंख्या समूह और बैंक समूहवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां तथा ऋण (कुल ऋण तथा लघु उधार खातों का ऋण)	25-26
2.2	राज्य और बैंक समूहवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां तथा ऋण (कुल ऋण तथा लघु उधार खातों का ऋण)	27-32
2.3	राज्य और जनसंख्या समूहवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां तथा ऋण (कुल ऋण तथा लघु उधार खातों का ऋण)	33-36
2.4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जिला तथा जनसंख्या समूहवार जमाराशियां और ऋण	37-65

अनुभाग 3 : जमाराशियां

3.1	जमाराशियों के प्रकार के अनुसार राज्य और जनसंख्या समूहवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां	66-68
3.2	जमाराशियों के प्रकार के अनुसार राज्य और बैंक समूहवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां	69-73

सारणी सं.		*पृष्ठ सं.*

3.3	जमाराशियों के प्रकार के अनुसार जनसंख्या और बैंक समूहवार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियां	74-75
3.4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का जनसंख्या समूह तथा स्थूल स्वामित्व श्रेणियों के अनुसार परिपक्वता का स्वरूप	76-77
3.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियों का राज्य के अनुसार परिपक्वता का स्वरूप	78-82

अनुभाग 4 : ऋण

4.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण तथा अग्रिमों का ब्याज दर सीमा और ऋण सीमा के आकार के अनुसार वर्गीकरण	83-84
4.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण तथा अग्रिमों का ब्याज दर सीमा और खाते के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण	85
4.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण तथा अग्रिमों का ब्याज दर सीमा और संगठन के अनुसार वर्गीकरण	86
4.4	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का खाते के प्रकार तथा संगठन के अनुसार वर्गीकरण	87
4.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का ऋण सीमा के आकार और संगठन के अनुसार वर्गीकरण	88
4.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का ऋण सीमा के आकार और ख़ाते के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण	89
4.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण सीमा के आकार के अनुसार बैंक समूहवार बकाया ऋण	90
4.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण सीमा के व्यापक सीमाओं के अनुसार जनसंख्या और बैंक समूहवार बकाया ऋण	91-92
4.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राज्य तथा जनसंख्या समूहवार बकाया ऋण	93-94
4.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राज्य तथा बैंक समूहवार बकाया ऋण	95-97

अनुभाग 5 : व्यवसायानुसार ऋण का वर्गीकरण

5.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार खाते के प्रकार वार वर्गीकरण	98-104
5.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार संगठनवार वर्गीकरण	105-110
5.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण तथा अग्रिम का ब्याज दर श्रेणीवार तथा व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण	111-116
5.4	विभिन्न ऋण सीमा के आकार के आधार पर व्यवसाय के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का वर्गीकरण	117-122

सारणी सं.		पृष्ठ सं.
5.5	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या समूह तथा बैंक समूहवार वर्गीकरण	124-133
5.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा बैंक समूहवार वर्गीकरण	134-203
5.7	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण	204-265
5.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लघु उधार खातों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण	266-283
5.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार जिलावार वर्गीकरण	284-344
	सारणियों पर टिप्पणियां	**345-346**
	परिशिष्ट	**347-348**